राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

एकलपीठ फौजदारी विविध जमानत आवेदन संख्या–15367/2016

प्रार्थीगण :

1. गोली पुत्र रामजीलाल उम्र 50 वर्ष
2. हाकिम पुत्र रामजीलाल उम्र 42 वर्ष
   दोनों जाति गुर्जर निवासी गढ़ीपनबेडा थाना सदर हिण्डौन सिटी जिला करौली।

– बनाम –

अप्रार्थी : राजस्थान राज्य

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जिया–उल रहमान।
लोक अभियोजक श्री प्रकाश ठाकुरिया।

:: आदेश :: **30.11.2016**

धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रकट किया कि वे इस अग्रिम जमानत आवेदन पर बल नहीं (Not Press) देते हैं। उनका निवेदन रहा कि प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में समर्पण कर देंगे, अतः सक्षम न्यायालय को उसी दिन प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का निस्तारण करने बाबत निर्देश दिया जाए।

योग्य लोक अभियोजक को प्रार्थीगण के द्वारा सक्षम न्यायालय में समर्पण होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में ऐतराज नहीं है।

उपरोक्तानुसार योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर बल नहीं देने के परिणामस्वरूप अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थीगण में से प्रत्येक प्रार्थी यदि मध्याह्न पूर्व (before lunch) सक्षम न्यायालय के समक्ष समर्पण करता है और प्रार्थी के द्वारा समर्पण करने के पश्चात यदि सक्षम न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन पेश किया जाता है तो सक्षम न्यायालय यदि पुलिस रिमाण्ड की आवश्यकता न हो अथवा रिमाण्ड अवधि समाप्त हो चुकी हो, उस स्थिति में विधि अनुसार गुणावगुण पर, इस आदेश से प्रभावित हुए बिना, जहॉ तक सम्भव हो सके, उसी दिन केस डायरी तलब कर जमानत आवेदन का निस्तारण करने का प्रयास करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–